Member of Parliament Local Area Development Scheme

सुधार परिपत्र सं.23

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फाइल सं. सी/17/2009-एमपीलैड्स

Dated 25.05.2012

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नै/दिल्ली नगर निगम
ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः- एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन- "वन एमपी – वन आइडिया" ।

महोदय/महोदया,

सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं कि वह "वन एमपी-वन आइडिया" नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करके अभिनवशीलता की भावना को बढ़ावा दे । इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिये गये पैरा के अनुसार पुरस्कार की शुरूआत की जाए और इसे एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.36 के रूप में जोड़ा जाये ।

"3.36 नई खोज और विकास में आम आदमी सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग का मार्ग अपनाने और स्थानीय समस्याओं के स्थायी और सुसाध्य समाधान हासिल करने के लिये, एक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है, जिसके जरिये चुनौतियां हल करने में समर्थ समाधान खोजे जा सकें । तदनुसार, विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों से प्राप्त नए विचारों पर आधारित "वन एमपी – वन आइडिया" प्रतिस्पर्धा प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष आयोजित की जा सकती है, ताकि सांसद के विशेष अनुरोध पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिये नगद पुरस्कारों के वास्ते तीन सर्वश्रेष्ठ नए समाधान चुने जा सकें । ज़िला प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मंगाने के लिये समाचारपत्रों, रेडियो, टेलीविजन तथा प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों के जरिये उद्घोषणा करवायेंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्घोषणा का ब्योरा संबंधित वेबसाइट (वेबसाइटों) पर भी अपलोड कर दिया जाए । इस प्रतिस्पर्धा से शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, आवास और बुनियादी ढांचा, कृषि ऊर्ज़ा, पर्यावरण, सामुदायिक तथा सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में नए समाधान आमंत्रित किए जाएंगे । निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अथवा कई व्यक्ति मिलकर एक समूह के रूप में, उद्योग, उद्योग संगठन, शिक्षण संस्थान, गैर-सरकारी संगठन या अन्य संस्थान सीधे तौर पर (फॉर्म । के अनुसार) नए समाधान स्वयं प्रस्तुत कर सकते है, या फिर निर्वाचन क्षेत्र में नए समाधान के बारे में जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति अनुबंध में दिये गये तत्सम्बंधी नामांकन प्रपत्र (फॉर्म ॥ के अनुसार) का उपयोग कर के तीसरे पक्ष के तौर पर या समाधान नामांकन के लिये भेज सकते हैं । व्यक्तिगत तौर पर या नामांकन के

3.36.1 नोडल ज़िले के ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा और इस समिति में (i) इंजीनियरी (ii) वित्त (iii) स्वास्थ्य और स्वच्छता (iv) शिक्षण संस्थान (v) उद्योग और (vi) बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किये जाएंगे । समिति को सभी आवेदनों की जांच का दायित्व सौंपा जाएगा । इंजीनियरी, वित्त, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र के प्रतिनिधि केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से संबंधित होने चाहिये । अग्रणी बैंक और वित्तीय संस्थाएं अच्छे नए समाधानों को वित्तीय सहायता देना चाहेंगी । चयन समिति पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये इस प्रतिस्पर्धा से तीन सर्वश्रेष्ठ नए समाधान चुनेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को देगी ।

3.36.2 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 2.5 लाख रु., 1.5 लाख रु. और 1 लाख रु. का नगद पुरस्कार दिया जाएगा । एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के तहत, इस प्रतिस्पर्द्धा के लिये विज्ञापन देने, बैठकें बुलाने, आदि सहित इन आयोजनों की व्यवस्था में होने वाले प्रशासनिक व्यय की अनुमति भी होगी, बशर्ते कि यह व्यय 5 लाख रु. की कुल पुरस्कार राशि के 10% यानि 50,000 रु. से अधिक न हो । पुरस्कारों के लिये 5 लाख रु. की राशि और प्रशानिक व्यय के लिये 50,000 रु. की कुल राशि एमपीलैड योजना से मुहैया करवाई जाएगी और इस स्कीम को प्रोत्साहित करने वाले सांसद की एमपीलैड्स निधि के नामे डाली जाएगी । सांसद ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक सार्वजनिक समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे । पुरस्कार विजेता समारोह में अपने अभिनव समाधान के बारे में जानकारी देंगे और ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट तथा सांसद लोगों को सामाजिक/विकासात्मक समस्याओं के अभिनव समाधान तलाशने के लिये प्रेरित करेंगे । समारोह को पर्याप्त मीडिया कवरेज दिया जायेगा । पुरस्कार विजेताओं को फॉर्म (III) के अनुसार सम्मान पत्र प्रदान किये जाएंगे । चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर अगले 5 सर्वश्रेष्ठ अभिनव समाधानों को भी प्रशस्ति पत्र दिये जाएंगे ।

2. इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के.चौधरी)
निदेशक

सूचनार्थ प्रति प्रेषितः-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

'वन एमपी - वन आइडिया' प्रतिस्पर्द्धा के प्रस्ताव संबंधी मसौदा दिशानिर्देश

राजनीतिक नेतृत्व अभिनवशीलता का पुरजोर समर्थन कर सके, इसके लिए राष्ट्रीय अभिनव समाधान परिषद ने 'वन एमपी - वन आइडिया' नामक योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में तीन सर्वश्रेष्ठ अभिनव समाधानों को वार्षिक आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा । इस प्रतिस्पर्द्धा का केन्द्र केवल नए विचार न होकर कार्यान्वयन पर बल देते हुए अभिनव समाधान खोजने पर होना चाहिए । इस प्रतिस्पर्द्धा को आयोजित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा निम्नलिखित है तथा प्रस्तुत करने का प्रपत्र और नामांकन हेतु प्रपत्र भी संलग्न है ।

1. 'वन एमपी - वन आइडिया' प्रतिस्पर्द्धा में एक निर्वाचन क्षेत्र से तीन सर्वश्रेष्ठ अभिनव समाधानों का चयन किया जाएगा और उन्हें नकद पुरस्कार दिए जाएंगे । यह घोषणा जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी प्रचार-माध्यम-समाचार-पत्र, रेडियो, टेलिविजन से या ऑनलाइन की जा सकती है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घोषणा का ब्यौरा संगत वेबसाइट (वेबसाइटों) पर भी डाला जाए । इस प्रतिस्पर्द्धा में शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों से संबंधित अभिनव समाधान आमंत्रित किए जाएंगे । ये समाधान निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, उद्योगों, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं द्वारा आवेदन-प्रपत्र में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । श्रेष्ठ अभिनव परिवर्तनों को निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी नामित किया जा सकता है । ऐसा नामांकन पत्र भरकर किया जाएगा जिसके साथ नामित व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, उद्योगों, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं से प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्र भी होना चाहिए । सभी प्रविष्टियों को, चाहे वे नामांकन के जरिए हो या आवेदन के रूप में, एक-सी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा ।

2. जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जा सकती है जिसमें इंजीनियरी, वित्त, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शैक्षणिक संस्थाओं, औद्योगिक पृष्ठभूमि के अन्य सदस्य हों । इस समिति को सभी आवेदनों की जांच करने का अधिदेश प्राप्त होगा । समिति में ऐसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं जो श्रेष्ठ अभिनव परिवर्तनों को वित्तपोषित करने की इच्छुक हों । यह चयन समिति पूर्णतः पारदर्शी तरीके से इस प्रतिस्पर्द्धा के तीन सर्वश्रेष्ठ अभिनव समाधानों का चयन करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

3. प्रथम, द्‌वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता को क्रमश: 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा । ये निधियां एमपीलैड योजना से मुहैया करवाई जाएंगी । ये पुरस्कार संसद सदस्य द्‌वारा एक सार्वजनिक समारोह में दिए जाने चाहिए जिसे पर्याप्त मीडिया कवरेज दिया जाए । इस समारोह में पुरस्कार विजेताओं को अपने अभिनव समाधानों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए तथा संसद सदस्य के साथ-साथ जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि लोग सामाजिक समस्याओं के अभिनव समाधान खोजें ।

इस पहल से अभिनवशीलता और बुनियादी स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में तथा बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करके देश में अभिनव समाधान आंदोलन को प्रेरित करने में मदद मिलेगी । इस प्रतिस्पर्द्धा से स्थानीय समस्याओं को स्थायी और समुचित रूप से सुलझाने में बुनियादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा ।

फॉर्म I

वन एमपी - वन आइडिया

आवेदन-प्रस्तुति हेतु प्रपत्र

- आप 'वन एमपी - वन आइडिया' प्रतिस्पर्द्धा में एक व्यक्ति, टीम अथवा एक संगठन के रूप में हिस्सा ले सकते हैं ।
- यह प्रपत्र केवल आवेदक द्वारा आवेदन करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना है । यदि आपको नामांकन करने है तो कृपयेा नामांकन-प्रपत्र (फॉर्म II) का प्रयोग करें ।
- भाग 1-13 अनिवार्य हैं जबकि भाग 14 वैकल्पिक है ।
- 'वन एमपी - वन आइडिया' प्रतिस्पर्द्धा में पुरस्कार राशि को छोड़कर वाणिज्यीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं करवाई जाएगी, लेकिन कुछ बैंक और वित्तीय संस्थाएं कुछ अभिनव समाधानों के वाणिज्यीकरण हेतु वित्तपोषण करने की इच्छुक हो सकती हैं । व्यवसाय मॉडल से संबंधित भाग सं.14 उनके लिए उपयोगी होगा ।
- कृपया आवेदन पत्र के साथ अपने अभिनव समाधान के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भेजें । यह दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो, समाचारपत्र की क्लिपिंग इत्यादि के तौर पर हो सकता है ।
- कृपया आवेदक (आवेदकों) का संक्षिप्त जीवनवृत्त संलग्न करें ।
- इस प्रतिस्पर्द्धा में हिस्सा लेकर आवेदक, प्रतिस्पर्द्धा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की सहमति देता है । नामांकन किए जाने की स्थिति में, यह पूरी तरह सुनिश्चित करना केवल नामांकनकर्ता की जिम्मेदारी है कि नामिती प्रतिस्पर्द्धा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करे ।
- सभी आवेदन और नामांकन चयन की एक-सी प्रक्रिया से गुजरेंगे । उनका चयन पहले चयन समिति द्वारा किया जाएगा और चुने गए नामों की सूची राज्य सरकार को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी ।
- कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में, संभव है किसी वर्ष विशेष में पुरस्कार नहीं भी दिया जाए ।
- राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े सभी मामलों पर बाध्यकारी होगा ।

आवेदक का ब्यौरा

1	आवेदक	व्यक्ति /टीम / संगठन
2	आवेदक (नाम और व्यवसाय)	1. 2. 3.
3	आवेदक(कों) का पता	
4	आवेदक(कों) का टेलीफोन /मोबाइल /ईमेल	

अभिनव समाधान का ब्यौरा

5	अभिनव समाधान का नाम/शीर्षक	

7	अभिनव समाधान के उपयोगकर्ता	
8	अभिनव समाधान का क्षेत्र	1. शिक्षा और कौशल 2. स्वास्थ्य 3. कृषि 4. जल एवं स्वच्छता 5. आवास एवं अवसंरचना 6. ऊर्जा एवं पर्यावरण 7. सामुदायिक एवं सामाजिक सेवा 8. कोई अन्य क्षेत्र (कृपया स्पष्ट करें)
9	समस्या संबंधी विवरण (उस समस्या को वरीयता दी जाएगी जो आपके क्षेत्र में प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित है)	- समस्या क्या है? - यह - भौगोलिक एवं जनांकिकीय आधार पर- किसे प्रभावित कर रही है
10	अभिनव समाधान का सार	- प्रस्तावित समाधान का एक विस्तृत विवरण दें (यदि आवश्यक हो, यहां उपयुक्त शीर्षकों के साथ तालिकाओं, चित्रों और आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है) - वह क्या है जो इस अभिनव समाधान को वर्तमान में अपनाए जा रहे अन्य समाधानों से अलग करता है? यदि वर्तमान में कोई अन्य समाधान उपलब्ध नहीं है, उन कारकों की चर्चा करें जो आपके अभिनव समाधान को एक वास्तविक समाधान के रूप में व्यवहार्य बनाते हैं । - पहले प्राप्त किए गए पुरस्कारों/मान्यताओं का ब्यौरा
11	अभिनव समाधान का कार्यान्वयन	- अपने अभिनव समाधान को अधिक कारगर बनाने एवं प्रयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने हेतु, क्या आपको निम्नलिखित में से किसी की आवश्यकता है: ▪ वित्तपोषण ▪ प्रोटोटाइपिंग में सहायता ▪ अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता ▪ साझेदारी ▪ विपणन एवं विक्रय में सहयोग - कार्यान्वित किए जाने पर इस समाधान का संभावित प्रभाव क्या होगा?
12	स्थिति	- कृपया प्रस्तावित समाधान की वर्तमान स्थिति का विवरण दें ▪ विचार के चरण में

		यदि इसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है, कृपया 500-800 शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें और संगत दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें ।
13	बौद्धिक संपदा अधिकार	- कृपया सूचित करें क्या आपके द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा, प्रस्तावित अभिनव समाधान का पेटेंट कराया गया है तथा/अथवा यह बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत आता है । इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें । (यदि उत्तर नहीं जानते हैं तो इसकी सूचना दें)
14	व्यवसाय मॉडल	यदि आप अपने अभिनव समाधान के वाणिज्यीकरण के विषय में सोच रहें हैं और इसके लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा करते हैं, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें: - संक्षिप्त व्यवसाय योजना - विशिष्ट बाजार एवं भौगोलिक खंड जिन्हें आपके समाधान से सहायता मिलेगी - अभी तक प्राप्त किसी वित्तपोषण का ब्यौरा (सरकार, वेंचर कैपिटलिस्ट, परिवार आदि के माध्यम से) - वित्तपोषण (उधार सहित) जिसकी अपेक्षा आप फिलहाल कर रहे हैं और इन निधियों का उपयोग करने की आपकी योजना क्या है । कृपया अगले तीन वर्षों के लिए अपनी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं के भावी अनुमान को प्रस्तुत करें, जिसमें अनुमानित नकद प्रवाह शामिल हों । - यदि आप किसी नए वेंचर की योजना बना रहे हैं, कृपया वित्तीय अनुमान, अपेक्षित निवेश, निधियों के उपयोग हेतु योजना, राजस्व मॉडल तथा प्रगति/उन्नयन हेतु मॉडल प्रस्तुत करें ।

स्थान:

तिथि:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

घोषणा

(मैं घोषणा करता हूँ/हम घोषणा करते हैं कि यह अभिनव समाधान हमारा मूल योगदान है । मैंने/हमने प्रतिस्पर्द्धा के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने की सहमति देते हैं ।)

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

फॉर्म II

वन एमपी - वन आइडिया

नामांकन हेतु प्रपत्र

प्रतिस्पर्द्धा के दिशानिर्देश

- आप 'वन एमपी - वन आइडिया' प्रतिस्पर्द्धा में एक व्यक्ति अथवा एक टीम अथवा एक संगठन को नामित कर सकते सकते हैं ।
- इस प्रपत्र का प्रयोग केवल नामांकन प्रस्तुत करने के लिए ही किया जाना है । यदि आप आवेदक हैं और स्वयं प्रतिस्पर्द्धा हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं, कृपया आवेदन-प्रपत्र (फॉर्म I) का प्रयोग करें ।
- कृपया आवेदन पत्र के साथ अभिनव समाधान के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भेजें । यह दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो, समाचारपत्र की क्लिपिंग इत्यादि के तौर पर हो सकता है ।
- इस प्रतिस्पर्द्धा में हिस्सा लेकर आवेदक, प्रतिस्पर्द्धा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की सहमति देता है । नामांकन की स्थिति में, यह पूरी तरह सुनिश्चित करना केवल नामांकनकर्ता की जिम्मेदारी है कि नामिती प्रतिस्पर्द्धा द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से अवगत हो और उनका पालन करे ।
- सभी आवेदन और नामांकन चयन की एक समान प्रक्रिया से गुजरेंगे । उनका चयन पहले चयन समिति द्वारा किया जाएगा और चुने गए नामों की सूची राज्य सरकार को अंतिम अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी ।
- कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में, संभव है किसी वर्ष विशेष में पुरस्कार नहीं भी दिया जाए ।
- इस प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े सभी मामलों के संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

नामित व्यक्ति का ब्यौरा

1	नामिती	व्यक्ति /टीम / संगठन
2	नामिती/ नामितियों के नाम और व्यवसाय	1.. 2... 3...
3	नामिती/नामितियों का पता	
4	नामिती/ नामितियों का टेलीफोन/मोबाइल / ईमेल	

जिनके द्वारा नामांकन किया गया

1 नाम

2 व्यवसाय

3 पता

4 टेलीफोन/मोबाइल / ईमेल

5 नामिती से संबंध, यदि कोई हो

<u>अभिनव समाधान का ब्यौरा*</u>

अभिनव समाधान का नाम/शीर्षक		
अभिनव समाधान के प्रयोग का स्थान		
अभिनव समाधान के उपयोगकर्ता		
अभिनव समाधान का क्षेत्र	1. शिक्षा और कौशल	6. ऊर्जा एवं पर्यावरण
	2. स्वास्थ्य	7. सामुदायिक एवं सामाजिक सेवा
	3. कृषि	8. कोई अन्य क्षेत्र (कृपया स्पष्ट करें)
	4. जल एवं स्वच्छता	
	5. आवास एवं अवसंरचना	

नामिती को यह पुरस्कार क्यों दिया जाना चाहिए?

(कृपया प्रस्तावित समाधान, सुलझाई जा रही समस्या तथा समाधान द्वारा किए जाने वाले मूल्य संवर्द्धन का एक ब्यौरा प्रस्तुत करें । कृपया समाधान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के पहलुओं, समाधान के विकासात्मक प्रभाव तथा इसके द्वारा भविष्य में सरकार/बैंकिंग क्षेत्र से अपेक्षित सहायता के स्वरूप का भी उल्लेख करें । इस अभिनव समाधान के लिए पहले प्राप्त किसी पुरस्कार/मान्यता का ब्यौरा भी दें । यह संक्षिप्त ब्यौरा 500-800 शब्दों का होगा जिसमें नामांकन को युक्तियुक्त ठहराया जाएगा तथा इसके समर्थन में आंकड़ों को संलग्न किया जा सकता है ।)

आप अभिनव समाधान एवं नामिती से कैसे परिचित हुए?

(कृपया उल्लेख करें कि आपको इस समाधान की जानकारी किस प्रकार हुई, और क्या आप नामिती से मिल चुके हैं अथवा आपने व्यक्तिगत रूप से इस अभिनव समाधान को देखा है ।)

अन्य विवरण, यदि कोई हो...

....

स्थान:

तिथि:

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u>

(मैंने प्रतिस्पर्द्धा के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने की सहमति देता हूँ ।)

नामांकनकर्ता के हस्ताक्षर

फॉर्म III

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सम्मान प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी .... ने (निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का नाम) ....में भाग लिया है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... को प्रथम पुरस्कार/द्‌वितीय पुरस्कार/तृतीय पुरस्कार के रूप में .... रुपए की नकद धनराशि एतदद्‌वारा प्रदान की जाती है ।

3. समस्या/समाधान का ब्यौरा ....

....

....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

दिनांक: